जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
(वाणिज्य विभाग)

क्रमांकः–अप्रनि/जोविविनिलि/अनु–वाणिज्य–1/पत्रा. /2002/प्रे.सं. 2579

जोधपुर,दिनांक :– 04/01/2003

परिपत्र

विषयः– सतर्कता जॉच बाबत ।

निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक एवं सतर्कता अधिकारियों की बैठक में विद्युत क्षति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्युत क्षति में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो यह दर्शाता है कि विद्युत चौरी में वृद्धि हुई । इस विषय पर असंतोष प्रगट करते हुऐ सतर्कता जॉच को गम्भीरता से लेते हुऐ संघन अभियान चलाने हेतु निर्देश जारी किये गये है लेकिन परि एवं संधा एवं सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रर्याप्त मात्रा में संतोषजनक सतर्कता कार्य नहीं किया जा रहा है ।

राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद भी सजावटी कार्यो के लिये विद्युत खर्च में कोई कमी नहीं आई है । प्राय यह पाया गया है कि विवाह उत्सव के दौरान सीधे तार डालकर विद्युत चोरी कर अत्याधिक विद्युत सजावट की जाती है । जिस पर निगम के अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है ।

विभिन्न बैठकों में विचार विमर्श के दौरान यह सूचित किया कि निगम द्वारा स्थापित इलेक्ट्रोनिक्स मीटर बोडी की रीवट को छेड़छाड़ कर विद्युत खपत के सहीं आंकलन में रुकावट डाली जाती है । ऐसे प्रकरणों के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज कराने के निर्देश विशेष तौर पर दिये गये लेकिन इन निर्देशों की भी पालना नहीं की जा रही है ।

अतः निगम के सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते है कि निगम द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सतर्कता जॉच कर आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करें तथा रिवट सील टूटी पाई जाने पर आवश्यक रुप से ऐसे उपभोक्ताओं के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना दर्ज करावें, साथ ही विवाह के अवसरों पर विद्युत चोरी की प्रवृति को रोकने हेतु ऐसे अवसरों पर विशेष सतर्कता जॉच करें ।

सभी अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं करेंगें जिसके कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही जैसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ें ।

(एच.एस. देवड़ा)
उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)